(8)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 39/2016

अनवानः– राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1 श्री हंसराज पुत्र श्री भगवानदास जाति अरोड़ा नि0 महावीर कॉलोनी गली नं0 1 एचएच एरिया हनुमानगढ टाउन मालिक हंसराज टी स्टॉल नजदीक पुराना पोस्ट ऑफिस हनुमानगढ टाउन

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री छगनलाल सिडाना अधिवक्ता अप्रार्थी।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज0)

–:निर्णयः–

दिनांकः–04.08.2017

स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के संयुक्त जांच दल द्वारा हनुमानगढ टाउन में श्री हंसराज की दुकान की जांच करने पर वहां पर अवैध रूप से भण्डारित 9 व्यावसायिक सिलेण्डर जिनमे प्रत्येक में 19–19 किलो गैस जिनकी क0सं0 क0सं. 008409एस, 131001 एस, 96755 एस, 27648 एस, 88653 एस, 152383 एस, 53939 एस, 30758 एस, 67594टी तथा 3 घरेलू सिलेण्डर जिनमें प्रत्येक में 14.2 किलो गैस भरी पायी गयी। जिनके नम्बर इस प्रकार हैं क0सं0 अस्पष्ट, 595630 टी, 639719 टी हैं । इस प्रकार उक्त 12 सिलेण्डरों में 199.4 किलो गैस की मात्रा भरी पायी गयी। जिसके लिए अप्रार्थी के पास उक्त मात्रा भण्डारण की अनुमति नहीं पायी गयी। ऑयल कम्पनी से अधिकृत व्यक्ति ही उक्त प्रकार का भण्डारण व व्यवसाय कर सकता है परन्तु अप्रार्थी को ऑयल कम्पनी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, उक्त भण्डारण अवैध है। अतः अप्रार्थी की दुकान में अधिक मात्रा में बिना आवश्यकता के अवैध के अवैध रूप से सिलेण्डर पाए जाने वजह सबूत जब्त किया गया, जिसकी फर्द जब्ती व सुपुर्दगी पृथक से तैयार कर सुरक्षा की दृष्टि से बालाजी गैस गैस एजेन्सी हनुमानगढ को सुपुर्दगी में दिया गया।

उक्त प्रकरण प्रथमतः श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दिनांक 16.12.11 को पेश हुआ तत्पश्चात् प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरण हुआ और दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये व अपना जबाब प्रस्तुत किया गया। जबाब में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी की दुकान से 9 वाणिज्यिक सिलेंण्डर एवं 2 इण्डेन कंपनी के सिलेण्डर व 1 एच.पी.सी. का खाली घरेलू सिलेण्डर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

(9)

बरामद हुआ कतई गलत व निराधार है। उक्त सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी की आपूर्ति करने वाली ट्राली के चालक व सहचालक के थे, जिन्होने अप्रार्थी की दुकान के आगे की चौकी पर रखे थे। जांच दल के आने पर चालक व सहचालक ट्रेक्टर स्टार्ट कर मय ट्रॉली लेकर भाग गये। अभिकथित सिलेण्डरों से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतिरिक्त आपतियों में अंकित किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस.बी. क्रिमिनल रिविजन नम्बर 149 सन 1986 निर्णय दिनांक 17.3.1988 अनवानी रामचन्द्र बनाम राजस्थान राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा–3 सपठित धारा–7 तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (लाईसेंस व नियंत्रण) आर्डर सन 1979 और लाईसेंस की शर्त संख्या–2 (क)(ख) राजस्थान पैट्रोलियम उत्पादन ऑर्डर के अन्तर्गत रसोई गैस के सिलेण्डरों का भण्डारण करने का मामला नहीं आता है–गैस सिलेण्डर में भरी हुई रसोई गैस तरल पैट्रोलियम गैस न होकर दबाकर भरी हुइ रसोई गैस होती है–यह पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादन की परिभाषा नहीं आती है– आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा –3 सपठित धारा–7 के अधीन दण्डनीय नहीं है–आरोप (चार्ज) को विरचित करने वाला आदेश अभिखण्डित किया गया। अतः कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा बिना परमिट व अधिकृत के अवैध रूप से सिलेण्डरों को रखा है, जिनका निस्तारण व राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में बताया कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा झूठा मुकदमा, निराधार बनाया है। जबकि अप्रार्थी का अभिकथित सिलेण्डरों से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अंकित है कि जब्ती के समय अप्रार्थी से जब्त सिलेण्डरों अप्रार्थी के पास उक्त मात्रा भण्डारण की अनुमति नहीं पायी गयी। ऑयल कम्पनी से अधिकृत व्यक्ति ही उक्त प्रकार का भण्डारण व व्यवसाय कर सकता है परन्तु अप्रार्थी को ऑयल कम्पनी द्वारा परमिट व अधिकृत नहीं किया गया है, उक्त भण्डारण अवैध है। जबकि अप्रार्थी ने अपने जबाब में कथन किया है कि उसके द्वारा उक्त सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी की आपूर्ति करने वाली ट्राली के चालक व सहचालक के थे, जिन्होने अप्रार्थी की दुकान के आगे की चौकी पर रखे थे। आयुक्त आपदा प्रबंधक के परिपत्र सं0 एफ 8(5) सा0आ0/आ.प्र./परिपत्र/04/5453, 92 जयपुर दिनांक 23.4.04 के अनुसार बिना लाईसेंस 100 किलो से ज्यादा गैस एक जगह नहीं जा सकती । द्रवित पैट्रोलियम गस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लाज 3,4,6 के अनुसार केवल आयल कम्पनी से अधिकृत व्यक्ति ही उक्त प्रकार के भण्डारण व व्यवसाय कर सकता है। जबकि अप्रार्थी इसके लिए अधिकृत नहीं था।

अतः अप्रार्थी से जब्त शुद्धा 9 व्यावसायिक सिलेण्डर जिनमें प्रत्येक में 19–19 किलो गैस तथा 3 घरेलू सिलेण्डर जिनमें प्रत्येक में 14.2 किलो गैस को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार संबंधित सुपुर्दगीगार से उक्त सिलेण्डर प्राप्त कर संबंधित गैस कम्पनी में जमा करवाकर उनमें गैस व सिलेंण्डरों की कीमत प्राप्त कर राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.8.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़